जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
कॉरपोरेट आइडेन्टीफिकेशन नम्बर (सीन) यू40109आरजे2000एसजीसी016483
पंजीकृत कार्यालय : न्यू पॉवर हाउस, जोधपुर 342003
फोन न. 0291-2742232 फैक्स न. : 0291-5106031
ईमेल caoar@yahoo.com / caobrju@gmail.com Web site : www.jdvvnl.com

क्रमांक एफ.1 ( )/ जोविविनिलि/मु.ले.अ.(ब. एवं रा.)/ व. ले.(राजस्व)/प्रे. 716 दिनांक 1/8/17

आदेश 130

स्थायी (PDC) एवं दो वर्ष से अधिक विद्युत सम्बन्ध विच्छेदित उपभोक्ताओं, जिन्हें आगे "उपभोक्ताओं" से सम्बोधित किया गया है, के विरुद्ध असामान्य बकाया राशि के परिप्रेक्ष्य में इसकी वसूली हेतु अब तक किये जा रहे प्रयासो की समीक्षोपरान्त, यह निर्णय लिया गया है कि इस कार्य हेतु फीडर इन्चार्जो की सेवाएं भी प्रभावी रूप से उपयोग में ली जा सकती हैं। इस हेतु फीडर इन्चार्ज अपने वर्तमान आवंटित कार्यों के अतिरिक्त उपभोक्ताओं से सम्बन्धित सभी आवश्यक जानकारी/फीडबैक सहायक अभियन्ता कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे जो इन उपभोक्ताओं के बारे में एक अद्यतन विस्तृत एवं वर्गीकृत विवरण तैयार करने एवं बकाया राशि की वसूली प्रक्रिया में गति लाने में लाभदायक सिद्ध होगी ।

यद्यपि उपभोक्ताओं से बकाया राशि की वसूली हेतु विगत में समय-समय पर विस्तृत आदेश/दिशा-निर्देश प्रसारित किए जाते रहे हैं तथापि वसूली की प्रक्रिया में फीडर इन्चार्जों एवं अन्य सभी सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मियों की उल्लेखनीय भूमिका के परिप्रेक्ष्य में इस कार्य के लिए देय प्रोत्साहन राशि का प्रावधान करते हुए निम्न दिशा-निर्देश जारी किये जा रहे हैं :-

1. उपर्युक्त सभी उपभोक्ताओं की बकाया राशि से सम्बन्धित विवरण यथा नाम, पता, खाता संख्या/ के. नम्बर, श्रेणी, बकाया राशि आदि सम्बन्धित सहायक राजस्व अधिकारी के पास में उपलब्ध हैं, जिसे वे समय-समय पर अद्यतन (Update) करते रहेंगे। सहायक राजस्व अधिकारी इस विवरण को फीडर वार एवं बाईण्डर वार वर्गीकृत कर सम्बन्धित फीडर इन्चार्ज को इन उपभोक्ताओं की सूची अविलम्ब उपलब्ध करवायेंगे जो इसे सम्बन्धित फीडर बाईण्डर के साथ सम्बद्ध करेंगे। फीडर इन्चार्ज को यह अद्यतन सूची प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अप्रैल एवं अक्टूबर में आवश्यक रूप से सहायक राजस्व अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवायी जाएगी। यह तालिका अधिकतम बकाया राशि से प्रारम्भ होकर क्रमशः न्यूनतम राशि के क्रम में तैयार की जाएगी।

2. सम्बन्धित फीडर इन्चार्ज उसे प्रदत्त उपर्युक्त उपभोक्ताओं की सूची को बाईण्डर के साथ संलग्न करेंगे ताकि वे मीटर रीडिंग लाते समय इन उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी एकत्रित कर इस सूची को अद्यतन (Update) करते रहें एवं इसकी जानकारी सम्बन्धित सहायक राजस्व अधिकारी को मीटर रीडिंग प्रस्तुत करते वक्त उपलब्ध करवा दें। सम्बन्धित फीडर इन्चार्ज संलग्न प्रारूप में अन्य जानकारी के अलावा यह जानकारी भी एकत्रित करेंगे कि उपर्युक्त किसी उपभोक्ता द्वारा उसी या किसी अन्य परिसर में विद्युत सम्बन्ध प्राप्त कर लिया गया है अथवा नहीं तथा यदि वह उपभोक्ता उस स्थान से पलायन कर गया है तो उसके नए स्थान का पता एवं विवरण प्राप्त करेंगे। फीडर इन्चार्ज द्वारा उक्त तालिका सदैव अपने पास रखी जाएगी एवं सम्बन्धित उपभोक्ताओं से निरन्तर व्यक्तिगत सम्पर्क कर बकाया राशि की वसूली

कृ.पृ.उ.

Scanned with CamScanner

हेतु हर संभव प्रयास किए जाएंगे। साथ ही उसके द्वारा तत्समय प्रभावी माफी योजना (Amnesty Scheme) के बारे में भी इन उपभोक्ताओं को अवगत कराते हुए बकाया राशि अविलम्ब जमा करवाने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। इस प्रकार व्यक्तिगत प्रयासों से वसूल की गई बकाया राशि की पूरी सूचना नाम, खाता संख्या, जमा राशि, रसीद संख्या एवं दिनांक सहित सम्बन्धित माह के अंत में फीडर इन्चार्ज द्वारा सहायक राजस्व अधिकारी को प्रेषित की जाएगी जिसे वो अपने स्तर पर प्रमाणित करेंगे ।

3. उपर्युक्त उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में उपलब्ध विवरण की सहायक राजस्व अधिकारी द्वारा समय–समय पर समीक्षा की जाएगी एवं निम्नांकित कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे :–
   - (i) उपभोक्ता द्वारा जमा सुरक्षा/समायोजन योग्य राशियों का समायोजन।
   - (ii) उपभोक्ता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी के अभाव एवं बकाया राशि अधिकतम 500 रुपये तक ही होने की स्थिति में अपलेखन।
   - (iii) कटे हुए कनेक्शनों की बकाया राशि का सम्बन्धित उपभोक्ताओं के चालू खातों में वसूली हेतु स्थानान्तरण।
   - (iv) बकाया राशि से सम्बन्धित विवादों का निपटारा।

4. सम्बन्धित वृत्त लेखाधिकारी इन आदेशों के क्रियान्वयन एवं वसूली की प्रगति की समीक्षा हेतु उत्तरदायी होंगे एवं उप–खण्ड वार निम्न तालिका में सूचना अगामी माह की 10 तारीख तक आवश्यक रूप से मुख्य लेखाधिकारी (राजस्व एवं बजट) को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे जिसे प्रबन्ध निदेशक स्तर पर होने वाली समीक्षा बैठक में अवगत करवाया जाएगा।

(राशि लाख रु. में)

1 अप्रेल, 201...... को स्थिति		चालू माह में वसूल की गई राशि		चालू माह तक वसूल की गई राशि		चालू माह तक बकाया राशि	
उपभोक्ताओं की संख्या	बकाया राशि	उपभोक्ताओं की संख्या	राशि	उपभोक्ताओं की संख्या	राशि	उपभोक्ताओं की संख्या	राशि

5. फीडर इन्चार्जो के सहयोग से उपर्युक्त उपभोक्ताओं से वसूल की गई निगम राशि का कुल 10 प्रतिशत (अधिकतम राशि रु. 50,000 प्रति उपभोक्ता/प्रकरण) प्रोत्साहन राशि के रूप में निम्नानुसार वितरित की जायेगी :–
   - सम्बन्धित फीडर इन्चार्ज – 5 प्रतिशत।
   - सम्बन्धित समस्त रेवेन्यू स्टाफ – 2 प्रतिशत (समानुपातिक भाग में)।
   - सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता – 1 प्रतिशत।
   - सम्बन्धित सहायक राजस्व अधिकारी – 1 प्रतिशत।
   - सम्बन्धित सहायक अभियन्ता – 1 प्रतिशत।

   यह आदेश निदेशक मण्डल की स्वीकृति के अध्याधीन है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार ।

मुख्य लेखाधिकारी (बजट व राजस्व)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।

Scanned with CamScanner

अनुलग्नक 'अ'

उपखण्ड का नाम

रिपोर्टिंग माह

प्राप्त तालिका की क्रम संख्या

उपभोक्ता का नाम

खाता संख्या

1	कुल बकाया राशि	
2	डाक का पूरा पता	
3	विद्युत सम्बन्ध विच्छेद तिथि	
4	परिसर में विद्युत उपभोग हेतु साधन यदि कोई हो	
5	परिसर में स्थित अन्य चालू/कटे हुए विद्युत सम्बन्धों यथा नाम, खाता संख्या, श्रेणी, बकाया राशि एवं उपभोक्ता से सम्बन्ध आदि का संक्षिप्त विवरण	
6	चल सम्पत्ति का विस्तृत विवरण (मय वाहन संख्या के)	
7	अचल सम्पत्ति का विवरण (मय खाली एवं निर्माणित भूमि की माप एवं कृषि भूमि के खसरा नम्बर के)	
8	उपभोक्ता के बैंक का नाम एवं खाता संख्या	
9	बकाया राशि के सम्बन्ध में विवाद सम्बन्धी विवरण यदि कोई हो	
10	उपभोक्ता का नया पता यदि कोई हो	
11	उपभोक्ता की मृत्यु की दशा में उत्तराधिकारियों के नाम एवं पते यदि कोई हों	
12	सम्पूर्ण प्रयासों के पश्चात् भी उपभोक्ता के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त न होने की स्थिति में किए गये प्रयासों का संक्षिप्त विवरण	

हस्ताक्षर फीडर इन्चार्ज

Scanned with CamScanner